सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 746 राँची, मंगलवार 31 जुलाई, 2018 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

25 जुलाई, 2018

संख्या-1/नीति-05-02/2015- 1152-- झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखण्ड अधिनियम- II, 1915) की धारा 89(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड के राज्यपाल, राजस्व पर्षद की अधिसूचना संख्या- 23-137-2 दिनांक 29 अप्रैल, 1919 के अधीन बनाई गई नियमावली के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या- 1709 दिनांक 28 दिसम्बर, 2017, अधिसूचना संख्या 106/रा०प० दिनांक 26 फरवरी, 2011 एवं अधिसूचना संख्या- 1/नीति-05-02/2015-1679 दिनांक 28 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित नियम- 106(ग) में निम्न प्रकार संशोधन करते हैं :-

संशोधन

नियम - 106 (ग) निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

नियम 106 (ग)

वर्तमान नियम	एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(i) राज्य के देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के खुदरा विक्रेताओं को देशी शराब की थोक आपूर्ति के निमित्त झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद प्रपत्र-27 ड़ में एकीकृत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी । (ii) राज्य के देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के थोक बिक्री के अनुज्ञप्तिधारी हेतु अनुज्ञाशुल्क, देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब की बिक्री की गयी प्रति पैकेज्ड इकाई के लिए निर्धारित अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का 4 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है । (iii) प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिये देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के थोक अनुज्ञप्ति का नवीकरण शुल्क, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर रू० 2/- (दो) प्रति एल०पी० लीटर की दर से अधिरोपित किया जाएगा ।	राज्य के देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के खुदरा विक्रेताओं को देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति के निमित्त झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद प्रपत्र-27 ड़ में एकीकृत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी । इस अनुज्ञप्ति हेतु झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रत्येक वित्तीय वर्ष एवं वर्ष के भाग के लिए 1.00 (एक) करोड़ रूपये अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में जमा करना होगा । यह अनुज्ञप्ति शुल्क वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व अग्रिम रूप में, समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक प्रोजेक्ट भवन अवस्थित सचिवालय कोषागार में जमा करा दिया जायेगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धर्मवीर रमण,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 746 -- 200